न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस.

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

ईस्माइल खान पुत्र कालेखां जाति मुसलमान निवासी नया चैनपुरा तहसील बागोडा जिला जालोर — राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार बागोडा

प्रकरण संख्या अपील 20/2019

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री अशोककुमार माली अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 02.09.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 173/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम श्री ईस्माल खां पुत्र कालेखां निवासी नया चैनपुरा तहसील बागोडा में पारित आदेश दिनांक 29.3.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नया चैनपुरा द्वारा अदालत मातहत के सक्षम एक रिपोर्ट दिनांक 18.03.2019 को सरहद मौजा नया चैनपुरा में स्थिति आराजी वर्तमान खसरा नंबर 796/68 रकबा 0.15 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत् 2075 में नाजायज रूप से अतिक्रमण कर अरण्डी की फसल बोई है।इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है।तथा अपीलांट को नोटिस दिनांक 18.03.2019 को जारी किया गया था।दिनांक 25.03.2019 को दो मौतबीरान के हस्ताक्षर करवाकर अदम तामील नोटिस अदालत मातहत पेश किया गया है।जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29.03.2019 को जैर अपील पारित किया गया है।जिसे व्यतित होकर अपीलांट यह अपील निम्न आधारो पर पेश कर रहा है:-

अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में न केवल तथ्यो कि भूल की है बल्कि विधि के भूलभूत सिद्धान्तो की भी भूल की है।जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।सरहद मौजा नया चैनपुरा में अपीलांट के वालीद काले खां वल्द अग्रीमखां के खातेदारी आराजी वर्तमान खसरा नबंर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, व 734/59 की आई हुई है उक्त आराजी के उत्तर दिशा की तरफ मांगाराम भोमाराम पिसरान प्रतापा जाति चौधरी कलबी खातेदारी खते खसरा नंबर 67 स्थिति है मांगाराम वगैराह ने अदालत उपखंड अधिकारी बागोडा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नंबर 62 व 68 में नये रास्ते की मांग की गई मांगाराम वगैराह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी बागोडा में राजस्व विविध प्रकरण संख्या 51/2012 दर्ज हुआ उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10. 07.2015 को उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा निर्णय पारित कर स्वंय के समक्ष साक्ष्य मौजूद होने के बाबजूद अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नंबर 68 के पश्चिमी माठ से होते हुये खसरा नबंर 67 में जाने हेतु नया रास्ता अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया है।जिससे व्यतित होते हुए अपीलांट के वालीद कालेखां द्वारा अदालत राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर में अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की उक्त अपील पर दिनांक 13.07.2016 को अदालत द्वारा आदेश पारित

कर उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 मुकदमा नबंर 51/2012 की पालना व प्रभाव को स्थगित कर दिया उक्त आदेश राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2016 को पारित किया गया है। दिनांक 13.07.2016 को अपीलांट के वालीद कालेखां लगातार अपने द्वारा प्रस्तुत मुकदमें में पैरवी करते रहे परन्तु दिनांक 12.03. 2018 को अपीलांट के वालीद हज यात्रा का वैरिफिकेशन करवाने के लिये पुलिस थाना बागोडा में व्यस्त होने से मुर्करर सुनवाई बइजलास पाली में हाजिर नही हो पाया इस कारण अपीलांट की अपील अदम हाजरी में खारीज की गई जिसकी जानकारी अपीलांट के वालीद को होने पर अपीलांट के वालीद ने श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया गया है जो अदालत राजस्व अधिकारी पाली कैम्प में जैर तजवीज है उसी दरम्यान अपीलांट के वालीद कालेखां की मृत्यु दिनांक 01.2.2015 को हो गयी है।इस कारण अपीलांट व कालेखां के दिग्गर वारिशान द्वारा राजस्व अपील अधिकारी में विचाराधीन अपील में कालेखां के कायम मुकाम वारिशान रेकर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जो विचाराधीन है।पटवारी हल्का नया चैनपुरा द्वारा अदलात के मातहत के समक्ष गलत तथ्यो के आधार पर रिर्पोट पेश की गई है।जो खसरा नंबर 62, 68 की खातेदारी एकल सवमित्व की राजस्व अभिलेख में कालेखां के नाम दर्ज है।मांगाराम वगैराह ने अपीलांट की ममलुका व मकबूजा की खातेदारी को खुर्द बुर्द करने एवं मांगाराम वगैराह के पास वैकल्पिक रास्ता स्वंय की खातेदारी में दक्षिण दिशा की तरफ राउता से नादिया जाने वाली ग्रेवल सडक से होते हुऐ उत्तर दिशा की तरफ मांगाराम वगैराह के खातेदारी खेत खसरा नबंर 67 में चलता है जो रास्ता मांगाराम वगेराह के खातेदारी में जाने वाला कदमी रास्ता है।उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग पीढीयो से करते है।उक्त रास्ते की जानकारी पटवारी हल्का नया चैनपुरा को होने के बावजूद गलत रिपोर्ट केवल मात्र आदेश की पालना में खातेदारी खेत में दिये गये रास्ते को अतिक्रमण सरकारी भूमि मानते हुये आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है।उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा पारित आदेश की पत्रावली में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का नया चैनपुरा द्वारा तैयार की गई जो मौजूद है जिसे पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से फर्द मौका रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि खसरा नंबर 68 व 62 में रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नही होता है उस तथ्य की जानकरी पटवारी हल्का नया चैनपुरा को होने के बावजूद एवं स्वंय द्वारा उक्त रिर्पोट तैयार करने के बाबजूद स्वंय को खातेदारी भूमि को अभिलेख में दर्ज रास्ते की भूमि बताकर एवं उक्त रास्ता उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा पारित आदेश की पालना में केवल मात्र दर्ज किया है जो उपखंड अधिकारी बागोडा के आदेश को अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प में चुनोती दी जा चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता किसी भी हांलात में गैर मुमकिन रास्ता नही होने से सरकारी भूमि नही मानी जा सकती है।एवं उपखंड अधिकारी की अदालत last institution of justice नही है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।अदालत मातहत ने तामील की कार्यवाही अदालत में बैठकर सम्पादित की है जो प्रिसिपल ऑफ नैचूरल जस्टिस के खिलाफ है तामिली रिपोर्ट भी पर्याप्त नही है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर प्रदान नही किया है।ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय प्रकिया की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।मांगाराम वगैराह कलबी जाति के लोग है वर्तमान में नियुक्त पटवारी भी चौधरी जाति का व्यक्ति है तथा वर्तमान में ग्राम पंचायत का सरपंच भी चौधरी जाति का है जिन्होने ने मिलकर समुदाय विशेष वर्ग व्यक्तियो को फायदा पहुचाने से नियुक्त पदो का दुरूपयोग कर प्रार्थी की खातेदारी को जबरन रास्ता दर्ज कर उस पर अतिकमण बता कर कार्यवाही की जा रही है जो अपीलांट के Tenancy Right adverse होने से आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट के पटवारी हल्का नया चैनपुरा

मौके पर आकर जबरन खातेदारी खेत में प्रवेश कर रास्ता निकालने की कार्यवाही कर दिनांक 10.07.2019 को करने लगे तब अपीलांट ने उन्हे रोका तो कहा की हमारे पास फैसला है हम तुम्हे बेदखल करके रहेगे वक्त घटना मांगाराम वगैराह मौजूद थे।जिस पर अपीलांट ने दिनांक 12.07.2019 को बागोडा आकर जानकारी प्राप्त की तब उक्त आदेश की जानकारी हुई अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।अत:अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकारफरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 173/2019 अनवान सरकार बनाम इस्माइल खान आदेश दिनांक 29.03.2019 का निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि मौजा नया चैनपुरा में अपीलांट के पिता की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 व 734/59 कुल रकबा 11.87 हैक्टर स्थिति है।उक्त आराजी के पडोसी खातेदार द्वारा रास्ते हेतु धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत उपखंड अधिकारी बागोडा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विविध प्रकरण संख्या 51/2012 दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 10.07. 2015 को निर्णय पारित कर अपीलांट के पिता की खातेदारी खसरा नबंर 68 रकबा 1.80 हैक्टर में पश्चिमी माठ पर रास्ता घोषित किया गया उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट के पिता कालेखां द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई अपील संख्या 34/2016 में दिनांक 13.07.2016 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन जारी किया गया है, कि आदेश उपखंड अधिकारी बागोडा दिनांक 10.07.2015 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2012 की पालना-प्रभाव आगामी पेशी तक स्थगित किया जाता है।तथा विवादित आराजी के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, उक्त स्थगन आज तक प्रभावी है तथा अपील संख्या 34/2016 अनवान कालेखां बनाम मांगाराम वगैराह निर्णित होने से शेष है।अपील संख्या 34/2016 दर्ज होने तथा दिनांक 13.07.2016 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन जारी करने के बावजूद भी नामान्तरकरण संख्या 261 दिनांक 10.07. 2015 राजस्व अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर खसरा नबर 68 में नवीन खसरा नबंर 796/68 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्थान सरकार दर्ज किया गया।उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये खसरा नंबर 796/68 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता को सरकारी भूमि मानते हुए उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त होने से पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार बागोडा के न्यायालय में पेश की गई जिस पर तहसीलदार बागोडा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश व फसल निलामी के साथ लगान का 50 गुणा जुर्माना निर्णय दिनांक 29.03.2019 को आरोपित किया गया है।खसरा नंबर 796/68 रकबा 0.15 हैक्टर प्रारम्भ से ही अपीलांट के पिता की खातेदारी में रहा है।आज तक अपीलांट के पिता व स्वंय का कब्जा काश्त है।उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 34/2016 अभी तक विचाराधीन होने के बावजूद भी खसरा नबंर 796/68 का अपीलांट को अतिक्रर्मी मानकर धारा 91 आर.एल.एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार बागोडा द्वारा अपीलांट को बेदखल किये जाने के आदेश के साथ जुर्माने से दंडित किया गया है। अत: उक्त आराजी अपीलांट के पिता की खातेदारी आराजी होने एवं राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 34/2016 निर्णित होने से शेष होने के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 29.03.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी वकील की ओर से तर्क दिया गया कि उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2012 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम पर दिनांक 10.07.2015 को निर्णय पारित किया गया है।अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा अपील संख्या 34/2016 में दिनांक 13.07.2016 को स्थगन जारी किया गया है।लेकिन उपखंड अधिकारी के आदेश की पालना में स्थगन जारी होने से पूर्व ही नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खसरा नंबर 68 में से 0.15 हैक्टर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है।जो सरकारी भूमि हो जाने से तहसीलदार बागोडा द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत दिनांक 29.03.2019 को निर्णय पारित किया गया जो विधिसंम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया जिसके अनुसार उपखंड अधिकारी बागोडा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 51/2012 में दिनांक 10.07.2015 को निर्णय पारित कर मौजा नया चैनपुरा के खसरा नबर 68 में से रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया गया है।उक्त निर्णय के विरूद्ध खातेदार कालेखां द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 34/2016 अनवान कालेखां बनाम मांगाराम वगैराह में दिनांक 13.07.2016 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन जारी किया गया है।उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय दिनांक 10.7.2015 की पालना में स्थगन आदेश जारी होने से पूर्व ही खसरा नबंर 68 में से 0.15 हैक्टर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता राजस्थान सरकार दर्ज कर नवीन खसरा नबंर 796/68 राजस्व अभिलेख मे दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ता तरमीम किया चुका है। इस प्रकार इस प्रकरण में स्थगन आदेश की कोई अवहेलना नही हुई है बल्कि उपखंड अधिकारी बागोडा के निर्णय की पालना में गैर मुमकिन रास्ता सराकरी भूमि दर्ज की गई है।जो वर्तमान में सरकारी भूमि है।उक्त सरकारी भूमि खसरा नंबर 796/68 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया जाने पर तहसीलदार बागोडा द्वारा धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29.03.2019 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।जो पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होना पाया जाता है।अतःउपरोक्त विवेचन के आधार तहसीलदार बागोडा द्वारा मुकदमा संख्या 173/2019 सरकार बनाम ईस्माइल खां में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2019 विधिसम्मत होना पाया जाने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:40:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: